

कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद-देवरिया

संख्या-323(XI) / न0प0गौ0बा0-2015-16

दिनांक-22/06/2015

अल्पकालिक निविदा सूचना:-

नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद-देवरिया में राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से विद्युत प्रकाश सम्बन्धित एल0ई0डी0 लाईट सेन्सर युक्त 25 वॉट्स/30 के0बी0ए0 स्टेप्लाइजर/समरसेबुल पम्प मोटर 15 हॉर्स पावर क्रय हेतु निविदा दिनांक-29-06.2015 को 02:00 दिन तक निविदा कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया पर आमन्त्रित की जाती है। जो ठेकेदार/फर्म विद्युत प्रकाश सामग्री/स्टेप्लाइजर/समरसेबुल पम्प मोटर की निविदा देना चाहते हैं तो कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया पर उपस्थित होकर शीलबन्द लिफाफें में कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया के निविदा बाक्स में उक्त तिथि को डाल सकते हैं निविदा फार्म की बिक्री दिनांक-27-06.2015 को समय 11:00 बजे दिन से 02:00 बजे दिन तक कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया पर किया जायेगा। तथा निविदा दिनांक-29-06.2015 को उपस्थित ठेकेदारों/फर्मों के समक्ष समय 04:00 बजे दिन में निविदा बाक्स से अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया पर खोला जायेगा किसी निविदा के साथ नगद अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा निविदा के साथ जमा जमानत धरोहर के रूप में के0बी0पी0/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गौरीबाजार के पदनाम बन्धक हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया के पास सुरक्षित होगा। निविदा की जानकारी कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया की वेबसाईट www.gauribazar.in पर देखा जा सकता है।

क्रय सामग्री का नाम व विवरण:-

क्र0सं0	आपूर्ति सं0	क्रय सामग्री का नाम
1-	1-	एल0ई0डी0 लाईट सेन्सर युक्त 25 वॉट्स कम्प्लीट सहित।
2-	2-	40 के0बी0ए0 स्टेप्लाइजर स्थापना सहित।
3-	3-	समरसेबुल पम्प मोटर 20 हॉर्स पावर स्थापना सहित।

नियम व शर्तें

- 1- निविदा के साथ जमानत की धनराशि 2% का एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/के0बी0पी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया के नाम बन्धक हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र टी-4, हैसियत प्रमाण पत्र टी-5, व्यापार कर प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड आदि पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- ठेकेदारों को नियमानुसार स्टैम्प पेपर अपने व्यय से क्रय कर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 4- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5- लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 6- नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
- 7- किसी निविदा को बिना बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार-देवरिया में निहित होगा।
- 8- निविदा जमा/खोलने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोला जायेगा।
- 9- प्रत्येक निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। जमा धरोहर धनराशि संलग्न न करने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगा।
- 10- क्रय/आपूर्ति सामग्री का गारंटी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी देवरिया।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया
- 3- उप जिलाधिकारी (सदर) देवरिया।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया/गौरा बरहज, जनपद-देवरिया, नगर पंचायत-सलेमपुर, मझौलीराज/भटनी बाजार/भाटपार रानी /रामपुर कारखाना/रुद्रपुर जनपद-देवरिया
- 5- NIC.in Deoria पर अपलोड करने हेतु।
- 6- सम्पादक विज्ञापन व्यस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-**स्वतंत्रकारण देवरिया, गौरा बरहज, गौरा बरहज** को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापन अपने समाचार पत्र में अगले अंक में प्रकाशित कर समाचार पत्र दो अदद सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया